

21/5/25

पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर।  
पत्रावली में पूर्व में भी वकील  
वादी को अंतिम हिरायत की गई  
थी कि आगामी फरी पर तामिल  
की रशीदें पेश करें, अन्यथा आदेश  
उ नियम के तहत आदेश पारित  
किया जायेगा लेकिन वकील वादी  
ने आज दिनांक तक तामिल  
की रशीदें पेश नहीं की। अतः वादी

का बाद आदेश व नियम 5 के तहत खारिज  
किया जाता है। पत्रावली पुराना शुमार  
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर  
में 1 - Dr. Ramprasad -

उपमण्डल अधिकारी  
दातारामगढ़ (सीकर)